राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 394/2024

राकेश सैनी –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि, उद्यानिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।
3. ज्योति बैरवा, कृषि पर्यवेक्षक, मु0 हिगोटिया, सहायक निदेशक कृषि (वि.) गंगापुरसिटी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.02.2024
आदेश की दिनांक : 23.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में कृषि पयवेक्षक के पद पर मु0 महापुरा कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि.) सांगानेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक ए–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण मु0 महापुरा कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि.) सांगानेर से मु0 हिगोटिया, सहायक निदेशक कृषि (वि.) गंगापुरसिटी निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 के स्थान पर किया गया एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर अनुचित लाभ देने की दृष्टि से किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण करने से पूर्व पंचायती राज विभाग की कोई सहमति नहीं ली गई, जो राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 (iii) का उल्लंघन है। अपीलार्थी का बच्चा गंभीर मिर्गी रोग से पीड़ित है, जिसका लगातार इलाज चल रहा है। अपीलार्थी के पिताजी के घुटने का ऑपरेशन हुआ है, जिनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई नहीं है (अनुलग्नक ए–2)। अपीलार्थी का बच्चा विकलांग है (अनुलग्नक ए–3)। माननीय अधिकरण ने बीमारी के

आधार पर अपील संख्या 694/2023 अशोक कुमार बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2023 (अनुलग्नक ए–4) द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक ए–1) को अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 के संबंध में अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का एक बच्चा गंभीर मिर्गी रोग से पीड़ित है तथा अपीलार्थी का एक बच्चा विगलांग है। अतः उपर्युक्त मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक ए–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य